



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978
वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1174/सत्रह-वि०-1—14-1978
लख नऊ, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1978)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अप्रति संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 30,
1974 द्वारा यथा
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधि-
नियम संख्या 11,
1973 की धारा
59 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1979" रख दिये जायेंगे।

निरसन

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हो गया था।

ब्राजा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1174/XVII-V-1-14-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan) Adhinyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 14 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President, on April 26, 1978:

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT
(AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 14 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1978.

Amendment of
section 59 of Pre-
sident's Act
no. XI of 1973 as
re-enacted by
U. P. Act no. 30
of 1974.

2. In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, in sub-section (14), for the word and figures "December 31, 1977", the word and figures "December 31, 1979" shall be substituted.

Repeal.

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1977, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act referred to in section 2 as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Act as amended by this Act as if this Act had come into force on December 30, 1977.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

उत्तर
प्रध्यादेश
सं 0 27
1977

U. P.
nances
of 1977